



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004
सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पे & अलावनसेस/12/4468 दिनांक:-25.04.2018

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-120/2018

विषय:-Grant of Overtime Allowance (OTA) to Railway employees consequent upon revision of pay scales and allowances-date of effect.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. PC-V/2017/A/OTA/1, दिनांक 20.03.2018, RBE No. 41/2018, S. No. PC-VII/98 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक, आरबीई एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1	RBE No. 175/2017	02/2018

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं CPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त.

(2 पृष्ठ)

प्रदीप मिश्रा
25/04/18

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(Railway Board) रेलवे बोर्ड

E/R No. - 120/2018

S.No. PC-VII/ १४
No. PC-V/2017/A/OTA/1

RBE No. 41/2018
New Delhi, dated 20.03.2018

The General Managers
All Indian Railways and
Production Units.
(as per mailing list)


Sub: Grant of Overtime Allowance (OTA) to Railway employees consequent upon revision of pay scales and allowances- date of effect.

Ref: Board's letter of even No. dated 28-11-2017 (RBE No. 175/2017)

02/2018

Pursuant to the recommendations of the Seventh Central Pay Commission, the rates of OTA have been revised w.e.f. 01-7-2017 vide Board's letter of even number dated 28-11-2017 (RBE No.175/2017). The issue of revising the date of effect of OTA w.e.f. 01-01-2016 had been under consideration and it has been decided that the basic pay and DA element for the purpose of OTA may be antedated to 01-01-2016 and other elements constituting emoluments for the purpose of OTA viz. HRA and Transport allowance etc. shall be taken into account at revised rates w.e.f. 01-7-2017 as per the 7th CPC recommendations.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
3. Hindi version is enclosed.




(Subhankar Dutta)
Deputy Director, Pay Commission-V
Railway Board.

No. PC-V/2017/A/OTA/1

New Delhi, dated 20.03-2018

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.



for Financial Commissioner, Railways

120/18

P/2

भारत सरकार/ Government of India
रेल मंत्रालय/ Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

क्र.सं. पीसी-VII / १४

सं. पीसी-V / 2017 / ए / ओटीए / 1

आरबीई सं. ५१ /2018

नई दिल्ली, दिनांक 20.03.2018

महाप्रबंधक

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.

(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: वेतनमान और भत्तों में संशोधन के परिणामस्वरूप रेल कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता (ओटीए) प्रदान करना - लागू करने की तारीख।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 28-11-2017 (आरबीई सं। 175/2017) का समसंख्यक पत्र ।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, बोर्ड के दिनांक 28-11-2017 (आरबीई नंबर -175 / 2017) के समसंख्यक पत्र के तहत समयोपरि भत्ता की दरों को 01-7-2017 से संशोधित किया गया है। 01-01-2016 से ओटीए लागू करने की तारीख संशोधित करने के मुद्दे पर विचार किया गया था और यह विनिश्चय किया गया है कि ओटीए के लिए मूल वेतन और डीए तत्व को पूर्व दिनांकित 01-01-2016 से और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ओटीए की अन्य परिलब्धियों यथा एचआरए और परिवहन भत्ता आदि को 01-07-2017 से संशोधित दरों पर हिसाब में लिया जाएगा ।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

शुभंकर दत्ता

(शुभंकर दत्ता)

उप निदेशक, वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड